

गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख पहलें और शांति प्रक्रिया

1. **पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में सुधार:** वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71% की कमी आई है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान, सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या 60% कम हुई है और नागरिकों की मृत्यु में 82% की कमी आई है।

2. **अफ़्सा (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' में कमी:**

- (i) **त्रिपुरा :** दिनांक 27.05.2015 से पूर्णतया हटा दिया गया
- (ii) **मेघालय:** दिनांक 1.04.2018 से पूर्णतया हटा दिया गया
- (iii) **असम:** 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से पूर्णतया हटा दिया गया
- (iv) **अरुणाचल प्रदेश :** क्रमशः हटाया गया और अब केवल नामसाई जिले के 3 थाना क्षेत्रों तथा 3 अन्य जिलों अर्थात् तिरप, चांगलांग व लोंगडिंग में लागू है
- (v) **मणिपुर:** 7 जिलों के 19 थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया
- (vi) **नागालैंड:** आंशिक रूप से हटाया गया और अब केवल 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में लागू है।

3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति समझौते :**

- (i) **एएनवीसी शांति समझौता (2014):** दिनांक 24.09.2014 को मेघालय में अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल (एएनवीसी) तथा एनएनवीसी/बी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एएनवीसी समूहों के 751 कैडरों/वर्कर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया और 15.12.2014 को अपने गुटों को भंग कर दिया।
- (ii) **एनएलएफटी(एसडी) शांति समझौता (2019):** दिनांक 10.08.2019 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (एनएलएफटी/एसडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एनएलएफटी (एसडी) के 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

- (iii) **बोडो शांति समझौता (2020):** लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए असम के बोडो समूहों के साथ दिनांक 27.01.2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एनडीएफबी समूहों के 1615 कैडरों ने दिनांक 30.01.2020 को आत्मसमर्पण किया और 9-10 मार्च 2020 को अपने गुटों को भंग कर दिया।
- (iv) **कार्बी शांति समझौता (2021):** असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए कार्बी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 04.09.2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 1000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा छोड़ दी और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।
- (v) **आदिवासी शांति समझौता (2022):** असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए दिनांक 15.09.2022 को 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हो गए।
- (vi) **डीएनएलए शांति समझौता (2023):** असम के दीमा हसाओ जिले में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए दिनांक 27.04.2023 को डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीएनएलए/डीपीएससी) के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.10.2023 को DNLA के 181 कैडर अपने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए।
- (vii) **यूएनएलएफ शांति समझौता (2023):** भारत सरकार, मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के बीच दिनांक 29.11.2023 को सहमत ग्राउण्ड रूल्स पर एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो राजनीतिक संवाद के माध्यम से मणिपुर में शांति कायम करने में एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस ऐतिहासिक समझौते में मणिपुर में सबसे पुराने घाटी-आधारित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ ने हिंसा को त्यागने और भारत के संविधान और विधि सम्मत शासन को अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाई। यह पहली बार था कि घाटी-आधारित मणिपुरी सशस्त्र समूह मुख्यधारा में लौटने के लिए सहमत हुआ।
- (viii) **उल्फा शांति समझौता (2023) :** दिनांक 29.12.2023 को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ((उल्फा) के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, उल्फा हिंसा का रास्ता छोड़ने, सभी हथियार/गोला-बारूद समर्पण, अपने सशस्त्र संगठन का विघटन करने और कानून

द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने तथा देश की अखंडता को बनाए रखने पर सहमत हुआ है। उल्फा समूह ने दिनांक 23.1.2024 को स्वयं को भंग कर लिया।

- (ix) **एनएलएफटी और एटीटीएफ शांति समझौता (2024):** दिनांक 4.9.2024 को त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) समूहों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एनएलएफटी और एटीटीएफ समूहों के 328 से अधिक कैडर हिंसा का त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

4. अन्य महत्वपूर्ण समझौते -

- (i) **ब्रू समझौता (2020):** त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए लगभग 661 करोड़ की वित्तीय सहायता/पैकेज के साथ दिनांक 16.01.2020 को ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- (ii) **तिपरा के साथ समझौता (2024) :** भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और 'द इंडीजनस प्रोग्रेसिव रिजनल एलाइंस'/टीआईपीआरए, जो तिपरा मोथा के नाम से प्रसिद्ध है, के बीच दिनांक 2.3.2024 को नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत, त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही सम्माननीय समाधान सुनिश्चित करने के लिए, समझौते के तहत इन मुद्दों से संबंधित पारस्परिक सहमति वाले बिंदुओं पर निर्धारित समयसीमा में अमल के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/समिति का गठन किया गया है।

5. सीज़फायर/संस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन/शसेशन ऑफ ऑपरेशन/अन्य समझौते:

- (i) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड(इसाक-मुइवा) [एनएससीएन(आईएम)] के साथ दिनांक 3.8.2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- (ii) नागालैंड के एनएससीएन(आर), एनएससीएन(एनके) और एनएससीएन(के-खांगो) के साथ सीज़फायर समझौते की समयसीमा को अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- (iii) एनएससीएन (के)निकी समूह के साथ दिनांक 8.9.2021 को एक वर्ष की अवधि के लिए सीज़फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समूह के 200 से अधिक कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए। एनएससीएन (के)निकी समूह के साथ सीज़फायर समझौते की समयसीमा को दिनांक 7.9.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) मणिपुर के जेलियांग्रोंग युनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) समूह के साथ दिनांक 27.12.2022 को शसेशन ऑफ ऑपरेशन (सीओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जेडयूएफ ने हिंसा छोड़ने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

6. अंतरराज्यीय सीमा समझौते :

(i) **असम-मेघालय :** असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा की दशकों लंबी समस्या को हल करने के लिए सीमा मतभेद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के संबंध में दिनांक 29.3.2022 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। सीमा मतभेद के शेष 6 क्षेत्रों के समाधान के लिए दोनों राज्यों द्वारा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन कर दिया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों राज्यों के परामर्श से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सीमा का सीमांकन किया जा रहा है।

(ii) **असम-अरुणाचल प्रदेश :** असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित 123 गांवों के संबंध में अंतर-राज्यीय सीमा विवाद को निपटाने के लिए दिनांक 20.4.2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों ने सहमति व्यक्त की है कि 123 विवादित गांवों के संबंध में यह समझौता अंतिम होगा और भविष्य में कोई भी राज्य किसी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा।
